

LCMS :- 2021/308

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021 / 3

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर घडसाना
प्रीठासीन अधिकारी :- अभिलाषा आरएएस कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत 12 के 5 न डी

-: आदेश :-

दिनांक 12-10-2021

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का 14KND-A एवं भू-अभिलेख निरीक्षक 7 के 5 न डी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रावला / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 16 के 5 न डी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत् 2075-78 में खाता सं. 24/42 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि, को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	2	3	4	5
01	16 के 5 न डी ही	24 (चैबोह) 5042	मखन सिंह पुत्र बलराव सिंह जाति नाई सिंह सा. 1 KNM II-A खतेवर राखि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बारा रावला मण्डी गुलशन	मखन सिंह पुत्र बलराव सिंह जाति नाई सिंह निकासी 1 KNM II-A खतेवर राखि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बारा रावला मण्डी गुलशन

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना
कैम्प 12 के 5 न डी

क्रमांक / रीडर / प्र.गा.सं.अ. / 2021 / 38-39

दिनांक 12-10-2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार घडसाना / रावला को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थी श्री मखन सिंह पुत्र बलराव सिंह को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
घडसाना
कैम्प 12 के 5 न डी